



# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2015 Certified)

उद्योग भवन, प्रथम तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492006

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. :22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : 0771-6621000, फैक्स : 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc\_raipur@yahoo.com

## द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक : 13/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग-04/2021-22/

रायपुर, दिनांक 09/03/2022

मुहरबंद निविदाये फार्म "अ" (प्रतिशत दर) पर छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत पंजीकृत 'द' वर्ग पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 25/03/2022 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता संभाग-04 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

| स. क्र. | कार्य का विवरण   | कार्य की अनुमानित लागत रु. | अमानत राशि रु. | निविदा प्रपत्र मूल्य रु. | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदाकार की श्रेणी   | बैंक साल्वेंसी | दर अनुसूची (एस.ओ.आर)  |
|---------|--|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 1.      | औद्योगिक क्षेत्र बोरई जिला-दुर्ग में राईजिंग मेन पाईप लाईन के संधारण का कार्य।                         | 18.76 लाख                  | 14100/-        | 885/- जी.एस.टी. सहित     | 02 माह वर्षा ऋतु सहित    | 'द' वर्ग एवं इससे उपर | 2.82 लाख       | प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित जल प्रदाय एस.ओ.आर दिनांक 01.06.2020, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित भवन एस.ओ.आर दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील |
| 2.      | औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई जिला-दुर्ग में जल प्रदाय परिसर में स्थित कार्यालय भवन का संधारण का कार्य। | 7.60 लाख                   | 5700/-         | 885/- जी.एस.टी. सहित     | 02 माह वर्षा ऋतु सहित    | 'द' वर्ग एवं इससे उपर | 1.14 लाख       | प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित भवन एस.ओ.आर दिनांक 01.01.2015, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित विद्युत एस.ओ.आर दिनांक-01.06.2020 से प्रभावशील               |

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता, संभाग-4 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 24/03/2022 को अपराह्न 4.00 बजे तक कार्यपालन अभियंता संभाग-4 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ, जीवित पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विवरणी विगत 03 वर्षों का (2018-19 2019-20 एवं 2020-21), पेन कार्ड की प्रति।
- (4) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य construction work) पर 1% उपकर (शेष) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (5) It is mandatory for the contractor(S) to get himself/themselves registered with "C.G. Building & Other Construction welfare Board" and "Karmachari Rajya Bima Yojna (ESIC) Govt. India Regional Office, Kota Raipur" For their employees (in case of more than 10 employees)" as soon as the work order is issued to him / them for the work amounting to Rs. 10.00 (ten) lacs and above and submit a copy of the same to the concern Executive Engineer. Otherwise no payment will be made under the contract.
- (6) कार्य का अंतिम देयक भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।
- (7) **GST Will be applicable & should be paid by contractor.**
- (8) सरल क्र. 01 में दर्शित कार्य G-Schedule के आईटम क्र. 24 एवं सरल क्र. 02 में दर्शित कार्य के आईटम क्र. 72, 73 एवं 74 के लिए अलग से दर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
- (9) उपरोक्त कार्यों में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (10) निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (11) निविदायें निगम की निविदा पेटी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (12) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- (13) निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।

कार्यपालन अभियंता  
(संभाग-04)